

REGISTRATION BOOK NO. 26
ROHTASH SINGH KARAN
COURT FEE

Author "ब्रह्मा-26"
(नियम 4क देखिए)
Date 20/03/2016
Time AM/PM
Defendant/Plaintiff
Solemnly affirmed and declared before me
Who is identified by - (उपर्युक्त)
Advocate

00000

0000100/24

325311

बिहार
JUDICIAL

5-7011

12-12-2016

BIHAR

2016



02 Date 20/03/2016

Defendant/Plaintiff

Solemnly affirmed and declared before me
Who is identified by - (उपर्युक्त)
Advocate

NUTIARY

Date 20/03/2016

काठकाड़ी संसदी

निवाचन क्षेत्र से (निवाचन क्षेत्र का नाम) (उपर्युक्त संसदी) (सदन का नाम) के लिए
निवाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मेरे अनुचित विवरण
आयु 62 वर्ष, जो भ्राता + भाई - द्वारा बाजार में बिकता है
जिनमें से छठा साल 2016 राजपत्र है। (इस का

पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निवाचन से अभ्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं-

(1) मैं (उपर्युक्त संसदी) (**राजनीतिक दल का नाम) छोड़ देता
किया/माया अभ्यर्थी/ **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(**जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मैंने 209, काठकाड़ी संसदी (निवाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 169
के नाम से 652 पर प्रवेश है।

(3) मेरी (फोटो/स्कैन) टेलीफोन नं 8757863295 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) -
है।

(4) साइंटिफिक संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्तिः (उपर्युक्त) है।

क्रम सं	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अतिग आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित नुल आय (रूपए में)

1.	स्वयं मामला/दस्तावेज़ों	शुल्क संकाय प्रति दस्तावेज़ की राशि	शुल्क	शुल्क	
2.	पूत्रीया पत्नी/जुड़ी-कुर्बानी	शुल्क	शुल्क	शुल्क	
3.	आश्रित-१ ३१/८१/२०१५	शुल्क	शुल्क	शुल्क	
4.	आश्रित-२ ३१/८१/२०१५	शुल्क	शुल्क	शुल्क	
5.	आश्रित-३ ३१/८१/२०१५	शुल्क	शुल्क	शुल्क	

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सहम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं। *(लालू जी कुमारी)*

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नालिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :- *(लालू जी कुमारी)*

(i) निम्नालिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं। *(लालू जी कुमारी)*

नामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के संबंधित नाम	<i>(लालू जी कुमारी)</i>
संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	<i>(लालू जी कुमारी)</i>
(ग) न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	<i>(लालू जी कुमारी)</i>
(घ) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	<i>(लालू जी कुमारी)</i>
(इ) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	<i>(लालू जी कुमारी)</i>
(च) क्या सभी द्वारा कोई कार्यवाही किसी सहम अधिकारिता वाले न्यायालय से द्वारा रोकी गई	<i>(लालू जी कुमारी)</i>

है/ हैं

मामली छंटा

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लेंवित है/ हैं जिनमें न्यायालय द्वारा सज्जान लिया गया है पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न):-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	मामला छंटा
(ख)	उन मामलों के ब्योरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	मामला छंटा
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्योरे	मामला छंटा

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का सुनाया दिया गया है/ नहीं दिया गया है :

अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित प्रानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्योरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	मामला छंटा
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	मामला छंटा

(ग)	अधिरोपित दड	<u>दूष्प्रभाव</u>
(घ)	जमा सिद्धदाता उहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के बारे और वर्तमान प्राप्तिः	<u>दूष्प्रभाव</u>

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर जादि) के बारे में जानकारी देता हूँ।

अ. जंगम आस्तियों के बारे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा /विनिधान की दशा में रकम स., रकम जमा की लौशेख, लकीम, बैंक /संस्था का नाम और शाखा सहित बारे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के सबूत में व्यपत्रों/शेयर डिविचरी का मूल्य स्टोक एक्सचेंजों में चालू व जारी किया गया रुपार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

* यहाँ आश्रित या चही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75 के अनुसार दिया जाना चाहिए।

संस्कृत सहित बारे प्रत्येक विनिधान के सबूत में पृथकतया दिए जाने हैं।

Govt.	विवरण	स्वयं	प्रति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	बाथ में नकदी	₹ 500/-	₹ 500	₹ 500	₹ 500	₹ 500
(ii)	बैंक खातों में जमा के बारे नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बदल खात भी है), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	₹ 500/-	₹ 500	₹ 500	₹ 500	₹ 500
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिविचरी/ शेयरों तथा यूनिटों	₹ 500	₹ 500	₹ 500	₹ 500	₹ 500

	में विनिधान के बौरे और रकम	₹200/-	₹200/-	₹200/-	₹200/-	₹200/-
--	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के बौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	₹200/-	₹200/-	₹200/-	₹200/-	₹200/-
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	₹200/-	₹200/-	₹200/-	₹200/-	₹200/-
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/ पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	₹200/-	₹200/-	₹200/-	₹200/-	₹200/-



जा. संघर्ष आस्तियों के बौरे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण
दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वक्षण संख्याक (संख्याएँ)	₹200/-	₹200/-	₹200/-	₹200/-	₹200/-
	झेंड्र (एकड़ में कूल माप)	₹200/-	₹200/-	₹200/-	₹200/-	₹200/-
	वया विरासत में आई संपत्ति	₹200/-	₹200/-	₹200/-	₹200/-	₹200/-

	है (हाँ या नहीं)	१४।	१५।	१६।	१७।	१८।
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	जून	जून	जून	जून	जून
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	जून	जून	जून	जून	जून
	विकास, सनिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनियोग	जून	जून	जून	जून	जून
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	जून		जून	जून	जून
(iii)	गैर कृति भूमि : अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	जून	जून	जून	जून	जून
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	जून	जून	जून	जून	जून
	वथा विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	जून	जून	जून	जून	जून
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	जून	जून	जून	जून	जून
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	जून	जून	जून	जून	जून
	विकास, सनिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनियोग	जून	जून	जून	जून	जून
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	जून	जून	जून	जून	जून
	आण्डाक भवन (अपार्टमेंट लाइट)	जून	जून	जून	जून	जून
	अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	जून	जून	जून	जून	जून
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	जून	जून	जून	जून	जून
	निमित्त क्षेत्र (वर्ग फुटों में कुल माप)	जून	जून	जून	जून	जून
	वथा विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	३५।	३५।	३५।	३५।	३५।
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	३५।	३५।	३५।	३५।	३५।
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	३५।	३५।	३५।	३५।	३५।
	विकास, सनिमाण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनियोग	३५।	३५।	३५।	३५।	३५।
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	३५।	३५।	३५।	३५।	३५।



(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवरिधिया) संरक्षण संख्याक (संख्याएँ)	इनका इनका इनका इनका			
	क्षेत्र (वग कट में कुल माप) ५००८२२४ वर्गमीट ११४६	इनका इनका इनका इनका			
	विशेष विवरण (वग कट में कुल माप)	इनका इनका इनका इनका			
	ज्या विरासत मे आई संपत्ति है (हा या नहीं)	इनका इनका इनका इनका			
	स्वअंजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	इनका इनका इनका इनका			
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	इनका इनका इनका इनका			
	विकास, सुनिमार्ज आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	इनका इनका इनका इनका			
	अनुमानित चाल बाजार मूल्य	इनका इनका इनका इनका			
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	इनका इनका इनका इनका			
(VI)	पूर्वांक (I) से (V) का कुल चाल बाजार मूल्य	इनका इनका इनका इनका			



वर्णन	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
बल वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य देंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	इनका इनका इनका				
पूर्वांक वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	इनका इनका इनका				
कोई अन्य दायित्व	इनका इनका इनका				
दायित्वयों का कुल योग	इनका इनका इनका				

(III)	सरकारी शोध्यः सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	श्रम	श्रम	श्रम	श्रम	श्रम
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	श्रम	श्रम	श्रम	श्रम	श्रम
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	श्रम	श्रम	श्रम	श्रम	श्रम
	टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	श्रम	श्रम	श्रम	श्रम	श्रम
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	श्रम	श्रम	श्रम	श्रम	श्रम
	आय-कर शोध्य	श्रम	श्रम	श्रम	श्रम	श्रम
	घनकर शोध्य	श्रम	श्रम	श्रम	श्रम	श्रम
	सेवाकर शोध्य	श्रम	श्रम	श्रम	श्रम	श्रम
	नगरपालिका / सपति कर शोध्य	श्रम	श्रम	श्रम	श्रम	श्रम
	विक्रयकर शोध्य	श्रम	श्रम	श्रम	श्रम	श्रम
	कोई अन्य शोध्य	श्रम	श्रम	श्रम	श्रम	श्रम
	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	श्रम	श्रम	श्रम	श्रम	श्रम
(IV)	*कोई अन्य दायित्व विवाहीन है, यदि हाँ तो रकम और उस जिसके समझ यह वर्णन करें।	श्रम	श्रम	श्रम	श्रम	श्रम

(9) वृत्ति या उपजीविका के बारे :-

(क) स्त्रीय

(ख) पति या पत्नी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

(१९८० | दिनी १६ फिल्म) (१९८१) (दिनी १७) (१९८५) ३४

(प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रस्तुत करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्लॉग दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ श्रुति शुभा विजय कुमार			
2	डाक का पता	लखनऊ पोस्ट ऑफिस नंगा भाड़ा बाजार (पट्टा) उत्तर प्रदेश 211001			
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	35 उत्तर प्रदेश विजय कुमार कुमार			
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	कांगड़ा नामांगन			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य			
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर नम (i) उल्लिखित मामलों से मिल्ने)	शून्य			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में विविध अपराधों के सिवाए)	शून्य			
Notary (F.I.A. No. 22/00) * (Reg. No. 862/83-J) State of Uttar Pradesh Govt. of India		का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए आतिम आयकर विवरणी फाइल को गई है	शून्य	
(i) अभ्यर्थी श्रुति शुभा विजय कुमार		शून्य	शून्य	शून्य	
(ii) पति या पत्नी (कि क्लब) श्रुति		शून्य	शून्य	शून्य	
(रा) आश्रित श्रुति शुभा विजय कुमार		शून्य	शून्य	शून्य	
8	आस्तियां और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)				
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2
क	जागम आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ख	स्थावर आस्तियां	₹/m ²					
I.	स्वअर्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	₹/m ²					
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपति की विकास / सनिर्माण लागत (यदि लागे हों)	₹/m ²					
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	₹/m ²					
(क)	स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	₹/m ²					
(ख)	विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	₹/m ²					
9.	दायित्व	₹/m ²					
	सरकारी शोध (कुल)	₹/m ²					
	बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	₹/m ²					
Gross.	पूरी दायित्व जो विवादाधीन है						
(i)	सरकारी शोध (कुल)	₹/m ²					
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	₹/m ²					
11	उच्चतम शोधिक अहता : ₹२५०० क्रिएटिव (३०३)						
	क्रिएटिव द्वारा १९८५ में						




	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्रकृति का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का चौरे दें।)
--	---

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग गिर्धा नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्परिक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विलङ्घ ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से मिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से मिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।



टिप्पणी 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी परिकल्पने के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पणी 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 4. शपथपत्र टकित या सुपार्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पणी - 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामाले में अन्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दायित्व किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अन्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर

लिए गये हैं। अब ऐसा नहीं किया गया है, जो निर्वाची पदाधिकारी अभ्यर्थी को खाली स्तम्भों के स्वच में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु शार देगे। मानवीय न्यायालय का न्याय निणय है कि अगर किसी नद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तम्भ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी उत्तम खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिव जाने के बाद भी स्तम्भ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवेद्ध के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पणी-५: शपथ पत्र के पारा ३ में जानकारी निर्मलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरसाध सम्पर्क संख्या / संख्याएँ हैं। हैं 8253-865295"

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है।

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है।

